

20/6/2005

मिसल नं० 23/2016 सरकार जयें तहसीलदार दीगोद बनाम मन्नालाल पुत्र भेरूलाल गूर्जर निवासी नोताडा तहसील दीगोद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-11-19	<p>पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17 व 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की भूमि खसरा नं० 1504/1038 रकबा 17 बिसवा श्री मन्नालाल आत्मज भेरूलाल जाति गूर्जर निवासी नोताडा तहसील दीगोद को आवंटन शिविर दिनांक 6.10.80 को आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है ।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। इस न्यायालय के पत्र क्रमांक /रीडर/एडीएम/2017/828 दिनांक 19.04.2017, 1867 दि० 11.10.2017, 167 दि० 15.2.2018, अ० शा० पत्र क्रमांक/2018/499 दिनांक 11.6.2018, 347 दि० 18.3.2019, 1024 दि० 15.10.2019 से लिखे जाने पर भी मृतक के कायम मुकामान की सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नहीं है।</p> <p>अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद अप्रार्थी के वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम व सही पते अंकित करते हुए पुनःनये सिर से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।</p>	

अति० जिला कलक्टर

कोटा